Factual and Action Taken Report

In the matter of

Original Application No. 442/2022

Juned Ayubi ....Applicant

Versus

State of Uttarakhand ....Respondent

I. BACK GROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 442/2022, Juned Ayubi Vs State of Uttarakhand issued inter alia following directions on 19.07.2022:

   "xxx.........................xxx...................................xxx

   3. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Regional Office, MoEF&CC at Dehradun, SEIAA, Director, Department of Geology and Mines, Government of Uttarakhand, State PCB and District Magistrate, Dehradun. The state PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF.

   xxx.......................xxx...xxx"

2. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 19.07.2022, the joint committee has undertaken inspection of the area in question on 26.08.2022. Following officials of the Joint Committee were part of the inspection :-

   1. Shri Vinod Kumar, SDM, Vikasnagar, Dehradun.
   2. Dr. K. Mandal, Scientist "C", Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Dehradun.
   3. Shri Sunil Panwar, Joint Director (Mining), Geology and Mining Unit, Bhopalpani, Dehradun.

4. Shri Aishwarya Shah, District Mining Officer, Geology and Mining unit, Dehradun.
5. Dr. R. K. Chaturvedi, Regional Officer, UKPCB, Dehradun.
6. Shri. Rakesh Kandari, Asst. Environment Engineer, Regional Office, UKPCB, Dehradun.

II. OBSERVATION OF THE JOINT COMMITTEE:

शासनादेश संख्या 2042/VII-I/108–ख/2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून के पक्ष में तहसील विकासनगर के ग्राम ढकरानी मण्डी गंगभेवा क्षेत्रान्तर्गत राजस्व लॉट संख्या 21/3 खसरा संख्या 2क, 618, 1 कुल क्षेत्रफल 68.364 है0 राजस्व भूमि में 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर का चुगान पट्टा स्वीकृत किया गया है तथा प्रबन्धक निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून द्वारा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति पर्यावरण एव वन मंत्रालय भारत सरकार से (Environment Clearance) के पत्र संख्या J-11015/140/2013-IA-II(M) दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त की गयी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या (Environment Clearance) संख्या J-11015/140/2013-IA-II(M) दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति, NBWA की अनुमति पत्रांक संख्या–F.No. 6-148/2018 WL दिनांक 30.11.2018, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक संख्या–UKPCB/Con/G-207/2022/97 दिनांक 07.04.2022 द्वारा Consent to Operate की अनुमति प्राप्त की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.03.2023 तक है एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 2218/मा0प्लान/उ0खनि0/देहरादून/2013–14 दिनांक 03 मार्च, 2015 द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रति वर्ष कुल 600000 टन की उपखनिज की निकासी की अनुमति प्रदान की गयी है।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित A.O.NO. 179/2021 में मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2021 में निम्न प्रभावी अंश निम्नवत है :–

"Mr. U.K. Uniyal, the learned Senior Counsel appearing on behalf of the respondent, Garhwal Mandal Vikas Nigam, concedes, and in the opinion of this Court rightly so, that the quantity mentioned in the MOU to be excavated per month is higher than the quantity permitted by the Central Government. Therefore, the amount due from the appellant on a per month basis needs to be reduced pro rata. Hence, Mr. U.K. Uniyal, the learned Senior Counsel, seeks one month's time to resolve the disputes as has erupted between the appellant and the respondent. He further gives an undertaking that

during this period, the Demand Notice dated 08.09.2021 shall not be enforced by the respondent. 4. Since there is a boundary dispute between the State of Himachal Pradesh and the State of Uttarakhand, the State of Uttarakhand is directed to resolve the said dispute, if any, with the State of 4 Himachal Pradesh with the help of the concerned District Magistrates of both the district."

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2069/VII-A-1/2021/108ख/16 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध मे राजस्व खनन लॉट यमुना 21/3 का स्थलीय निरीक्षण कर Factual Report शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु समिति का गठन किया गया था, जिसमें महानिदेशक भूतत्व एव खनिकर्म इकाई द्वारा नामित प्रतिनिधि, जिलाधिकारी देहरादून द्वारा नामित अधिकारी, प्रबन्धक निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम द्वारा नामित प्रतिनिधि, जिला खान अधिकारी आदि को नामित किया गया।

शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के क्रम में गठित समिति द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी Factual Report के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2477/VII-A-1/2021–108ख/2016 दिनांक 06 जनवरी, 2022 के बिन्दु संख्या 8(ii) में यमुना नदी में दो राज्यो के मध्य सीमा विवाद के दृष्टिगत नदी के मध्य से 15 मीटर का बफर जोन घोषित किये करते हुए तद्नुसार प्रतिबन्धित क्षेत्रफल को कम किये जाने पर **68.364** है0 के स्थान पर **58.614** है0 क्षेत्रफल में उपखनिज की वार्षिक मात्रा कुल **5,14,428.64** टन निर्धारित की गयी है। **(संलग्नक–1)**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में आदेश दिनांक 19.07.2022 के निम्नवत् अंश The applicant has submitted that mining rights for mining in Revenue areas of Garhwal were exclusive given to Garhwal Mandal Vikas Nigam (GMVN) . State Government issued LOI dated 23.01.2013 to GMVN for getting Environment Impact Assessment of 83 lots, including lot no. 21/3 (10.350 Hect) falling in Yamuna River, in District Dehradun conducted. Subsequently, lot no. 21/3 was modified on 10.04.2016 as per survey dated 14.09.2012 which was found it for mining. Thereafter, in the year 2013 application for environment clearance was submitted. On 03.03.2015 mining plan of lot no. 21/3 comprising Khasra No. 1, 2K and 618 in Village Dhakrani and Khasra No.-1 in village Mandi Gangbhewa measuring 68.364 Hectares was approved. The same was consented to by MoEF&CC on 07.09.2016. When longitudes and latitudes mentioned in the consent was marked on google earth one point was falling in Khasra No.-971 of Vill-Dhakrani in Uttarakhand and other point was falling in village Manwar Dewra in Himanchal Pradesh with 20 percent area falling in Uttarakhand and 80 percent area falling in Himanchal Pradesh के कम में तथा निम्नानुसार है :–

पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित latitude व longitude राजस्व लॉट क्षेत्रफल यमुना नदी में 30°27'14.17"N to 30°26'43.02"N व 77°42'1.06"E to 77°40'57.88"E जो कि Survey of India की Toposheet No. 53F 11 व GPS location google earth पर इंगित करने पर उपरोक्त Latitude व Longitude उत्तराखण्ड के परिक्षेत्र के 200 मीटर अन्दर पाये गये। **(संलग्नक–2)**

निरीक्षण दिनांक को खनन क्षेत्र के अधिकांश भाग में नदी के प्रवाह होने के कारण खनन क्षेत्र लगभग समतल पाया गया, जिसके स्थल फोटोग्राफ संलग्न है। **(संलग्नक–3)**

शिकायतकर्ता द्वारा 971 में अवैध खनन किये जाने सम्बन्धी शिकायत के क्रम में राजस्व विभाग द्वारा बताया गया कि जी0एम0वी0एन0 को स्वीकृत खनन लॉट के खसरा संख्या नं0–1 व 2 व खसरा नं0–618 उक्त खनन लॉट संख्या–618 से लगता हुआ खसरा संख्या–936, जो कि नदी से लगता हुआ है उक्त खसरों की लम्बाई 1400 मीटर से (लगभग) व उक्त खसरा संख्या नम्बर से लगता हुआ खसरा नम्बर–971, जिसकी लम्बाई राजस्व खसरे के अनुसार 600 मीटर लगभग में है। **(संलग्नक–4)**

अवैध खनन पर नियंत्रण हेतु राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा नियमित रूप से कार्यवाहियॉ की जाती है तथा दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31.08.2022 तक तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनिजों के परिवहन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही एवं अवैध खनन परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित/वसूली की गयी धनराशि का विवरण उपजिलाधिकारी विकासनगर के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नवत्त है : **(संलग्नक–5)**

क्र0सं0	अवैध खनन परिवहन से सम्बन्धित प्रकरणों की कुल संख्या	राजस्व प्राप्ति (रू0 में)
01	338	1,05,83,296.00

पर्यावरणीय अनुमति की शर्तों की अनुपालन आख्या सम्बन्धी रिपोर्ट गढवाल मण्डल विकास निगम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त जमा की गयी है। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा शर्तों की अनुपालन में ईंगित कमियों का निराकरण किये जाने सम्बन्धी पत्र गढवाल मण्डल विकास निगम को प्रेषित् किया गया है **(संलग्नक–6)**

गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 74/1 राजपुर रोड देहरादून के कार्यादेश पत्रांक संख्या 784/दस/चार–यमुना 21/3 (2020–25) दिनांक 02 फरवरी, 2021 द्वारा तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत राजस्व लॉट यमुना 21/3 खसरा संख्या 2 क, 618, 1 कुल क्षेत्रफल 68. 364 है0 वार्षिक निविदित मात्रा 600000 टन पर ई–निविदा के माध्यम से सफल बोलीदाता/उच्च बोलीदात श्री विनोद नेगी निवासी ग्राम मयाली पो0 मयाली जनपद रूद्रप्रयाग को आवंटित किया गया।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड भोपालपानी देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2677 दिनांक 19 जनवरी, 2021, कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के

कार्यालय पत्र संख्या 73/खनिज–अनु0/21 दिनांक 03 फरवरी, 2021 एवं गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 के पत्रांक संख्या 790/दस/चार–यमुना 21/3(2020–25) दिनांक 03 फरवरी, 2021 के क्रम में खनन लॉट का ई–रवन्ना पोर्टल पर दिनांक 03.02.2021 को खनिजो के परिवहन हेतु पंजीकरण किया गया।

ई–रवन्ना पोर्टल पर खनिजों के परिवहन हेतु निगम के पक्ष में तहसील विकासनगर के ग्राम–ढकरानी मण्डी गंगभेवा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत राजस्व लॉट संख्या–21/3 पंजीकरण किये जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा ई–रवन्ना पोर्टल के अनुसार वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में स्वीकृत मात्रा के सापेक्ष निकासी की गयी उपखनिज की मात्रा विवरण निम्नवत्त है :– **(संलग्नक–7)**

क्र0सं0	वर्ष	ई–रवन्ना पोर्टल पर खनिजों के परिवहन हेतु पंजीकरण किये जाने के उपरान्त स्वीकृत मात्रा के सापेक्ष निकासी की गयी उपखनिज की मात्रा (टन में)
01	2020–21 (03.02.2021 से 02.02.2022)	73,190
02	2021–22 (03.02.20222 से 26.08.2022 निरीक्षण दिनांक तक)	85,335

The joint committee report is submitted for the perusal of Hon'ble NGT.

****

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में **Application No. 442/2022 Juned Ayubi Vs State of Uttarakhand** में पारित आदेशो के अनुक्रम में **Mining by GMVN** के सम्बन्ध मे संयुक्त निरीक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या **442/2022 Juned Ayubi Vs State of Uttarakhand** में पारित आदेशो के अनुक्रम में मै0 गढवाल मण्डल विकास निगम के द्वारा संचालित खनन क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 26.08.2022 को निम्न विभागों की संयुक्त गठित समिति द्वारा किया गया, जो निम्नवत है :–

1. श्री विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी विकासनगर, देहरादून।
2. डा0 के0 मंडल, वैज्ञानिक सी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
3. श्री सुनील पंवार, संयुक्त निदेशक (खनन) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय भोपालपानी।
4. एश्वर्य शाह, जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून।
5. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, यूकेपीसीबी, देहरादून
6. राकेश कण्डारी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, यूकेपीसीबी, देहरादून।

शासनादेश संख्या 2042/VII-I/108–ख/2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून के पक्ष में तहसील विकासनगर के ग्राम ढकरानी मण्डी गंगभेवा क्षेत्रान्तर्गत राजस्व लॉट संख्या 21/3 खसरा संख्या 2क, 618, 1 कुल क्षेत्रफल 68.364 है0 राजस्व भूमि में 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर का चुगान पट्टा स्वीकृत किया गया है तथा प्रबन्धक निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून द्वारा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति पर्यावरण एव वन मंत्रालय भारत सरकार से (Environment Clearance) के पत्र संख्या J-11015/140/2013-IA-II(M) दिनांक 07 सितम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त की गयी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या (Environment Clearance) संख्या J-11015/140/2013-IA-II(M) दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति, NBWA की अनुमति पत्रांक संख्या–F.No. 6-148/2018 WL दिनांक 30.11.2018, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के पत्रांक संख्या–UKPCB/Con/G-207/2022/97 दिनांक 07.04.2022 द्वारा Consent to Operate की अनुमति प्राप्त की गयी है, जिसकी वैधता 31.03.2023 तक है एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 2218/मा0प्लान/उ0खनि0/देहरादून/2013–14 दिनांक 03 मार्च, 2015 द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रति वर्ष कुल 600000 टन की उपखनिज की निकासी की अनुमति प्रदान की गयी।

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित A.O.NO. 179/2021 में मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2021 में निम्न प्रभावी अंश निम्नवत है :–

"Mr. U.K. Uniyal, the learned Senior Counsel appearing on behalf of the respondent, Garhwal Mandal Vikas Nigam, concedes, and in the opinion of this Court rightly so, that the quantity mentioned in the MOU to be excavated per month is higher than the quantity permitted by the Central Government. Therefore, the amount due from the appellant on a per month basis needs to be reduced pro rata. Hence, Mr. U.K. Uniyal, the learned Senior Counsel, seeks one month's time to resolve the disputes as has erupted between the appellant and the respondent. He further gives an undertaking that during this period, the Demand Notice dated 08.09.2021 shall not be enforced by the respondent. 4. Since there is a boundary dispute between the State of Himachal Pradesh and the State of Uttarakhand, the State of Uttarakhand is directed to resolve the said dispute, if any, with the State of 4 Himachal Pradesh with the help of the concerned District Magistrates of both the district."

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2069/VII-A-1/2021/108ख/16 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध मे राजस्व खनन लॉट यमुना 21/3 का स्थलीय निरीक्षण कर Factual Report शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु समिति का गठन किया गया, जिसमें महानिदेशक भूतत्व एव खनिकर्म इकाई द्वारा नामित प्रतिनिधि, जिलाधिकारी देहरादून द्वारा नामित अधिकारी, प्रबन्धक निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम द्वारा नामित प्रतिनिधि, जिला खान अधिकारी आदि को नामित किया गया।

शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के क्रम में गठित समिति द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी Factual Report के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2477/VII-A-1/2021-108ख/2016 दिनांक 06 जनवरी, 2022 के बिन्दु संख्या 8(ii) में यमुना नदी में दो राज्यो के मध्य सीमा विवाद के दृष्टिगत नदी के मध्य से 15 मीटर का बफर जोन घोषित किये करते हुए तद्नुसार प्रतिबन्धित क्षेत्रफल को कम किये जाने पर 68.364 है0 के स्थान पर 58.614 है0 क्षेत्रफल में उपखनिज की वार्षिक मात्रा कुल 5,14,428.64 टन निर्धारित की गयी है। (संलग्नक–1)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में आदेश दिनांक 19.07.2022 के निम्नवत् अंश The applicant has submitted that mining rights for mining in Revenue areas of Garhwal were exclusive given to Garhwal Mandal Vikas Nigam (GMVN). State Government issued LOI dated 23-01-2013 to GMVN for getting Environment Impact Assessment of 83 lots, including lot no. 21/3 (10.350 Hectares) falling in Yamuna River, in District Dehradun conducted. Subsequently, lot no. 21/3 was modified on 10.04.2016 as per survey dated 14.09.2012 which was found it for mining. Thereafter, in the Year 2013 application for environment clearance was submitted. On 03.03.2015 mining plan of lot no. 21/3 comprising Khasra no. 1, 2 K and 618 in Village Dhakrani and Khasra No. 1 in village Mandi Gangbhewa measuring 68.364 hactares was approved. The same was consented to by MoEF & CC on 07.09.2016. When longitudes and latitudes mentioned in the consent were marked on google earth one point was falling in Khasra No. 971 of Village Dhakrani in Uttarakhand and other point was falling in village Manpur Dewra in Himachal Pradesh with 20 Percent area falling in Uttarakhand and 80 percent area falling in Himachal Pradesh के क्रम में तथा निम्नानुसार है–

पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित latitude व longitude राजस्व लॉट क्षेत्रफल यमुना नदी में 30°27'14.17" N to 30°26'43.02" N व 77°42'1.06" E to 77°40'57.88" E, जो कि Survey of India की Toposheet No. 53F 11 व GPS Location Google Earth पर इंगित करने पर उपरोक्त Latitude व Longitude उत्तराखण्ड के परिक्षेत्र के 200 मीटर अन्दर पाये गये। **(संलग्नक–2)** निरीक्षण दिनांक को खनन क्षेत्र के अधिकांश भाग में नदी के प्रावह होने के कारण खनन क्षेत्र लगभग समतल पाया गया, जिसके स्थल फोटोग्राफ संलग्न है। (संलग्नक–3)

शिकायतकर्ता द्वारा 971 में अवैध खनन किये जाने सम्बन्धी शिकायत के क्रम में राजस्व विभाग द्वारा बताया गया कि GMVN को स्वीकृत खनन लॉट के खसरा संख्या नम्बर–1 व 2 क व खसरा नम्बर–618 उक्त खनन लॉट में खसरा संख्या–618 से लगता हुआ खसरा संख्या 936, जो कि नदी से लगता हुआ है उक्त खसरो की की लम्बाई 1400 मीटर से (लगभग) व उक्त खसरा संख्या नम्बर से लगता हुआ खसरा नम्बर 971, जिसकी लम्बाई राजस्व सजरे के अनुसार 600 मीटर लगभग में है। (संलग्नक–4)

अवैध खनन पर नियंत्रण हेतु राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा नियमित रूप से कार्यवाहीयॉ की जाती है तथा दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31.08.2022 तक तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनिजों के परिवहन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही एवं अवैध खनन परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित/वसूली की गयी धनराशि का विवरण उपजिलाधिकारी विकासनगर के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नवत है : (संलग्नक–5)

क्र0 सं0	अवैध खनन परिवहन से सम्बन्धित प्रकरणो की कुल संख्या	राजस्व प्राप्ति (रू0 में)
01	338	1,05,83,296.00

पर्यावरणीय अनुमति की शर्तों की अनुपालन आख्या सम्बन्धी रिपोर्ट गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त जमा की गयी है। सम्बन्धित कार्यालय

द्वारा शर्तों की अनुपालना में इंगित कमियों का निराकरण किये जाने सम्बन्धी पत्र गढ़वाल मण्डल विकास निगम को प्रेषित किया गया है। (संलग्नक–6)

गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 74/1 राजपुर रोड देहरादून के कार्यादेश पत्रांक संख्या 784/दस/चार–यमुना 21/3 (2020–25) दिनांक 02 फरवरी, 2021 द्वारा तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत राजस्व लॉट यमुना 21/3 खसरा संख्या 2 क, 618, 1 कुल क्षेत्रफल 68.364 है0 वार्षिक निविदित मात्रा 6,00,000.00 टन पर ई–निविदा के माध्यम से सफल बोलीदाता/उच्च बोलीदाता श्री विनोद नेगी निवासी ग्राम मयाली पो0 मयाली जनपद रूद्रप्रयाग को आवंटित किया गया।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड भोपालपानी देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2677 दिनांक 19 जनवरी, 2021, कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 73/खनिज–अनु0/21 दिनांक 03 फरवरी, 2021 एवं गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 के पत्रांक संख्या 790/दस/चार–यमुना 21/3(2020–25) दिनांक 03 फरवरी, 2021 के क्रम में खनन लॉट का ई–रवन्ना पोर्टल पर दिनांक 03.02.2021 को खनिजो के परिवहन हेतु पंजीकरण किया गया।

ई–रवन्ना पोर्टल पर खनिजो के परिवहन हेतु निगम के पक्ष में तहसील विकासनगर के ग्राम ढकरानी मण्डी गंगभेवा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत राजस्व लॉट संख्या 21/3 पंजीकरण किये जाने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा ई–रवन्ना पोर्टल के अनुसार वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में स्वीकृत मात्रा के सापेक्ष निकासी की गयी उपखनिज की मात्रा विवरण निम्नवत है: (संलग्नक–7)

क्र0 सं0	वर्ष	ई–रवन्ना पोर्टल पर खनिजो के परिवहन हेतु पंजीकरण किये जाने के उपरान्त स्वीकृत मात्रा के सापेक्ष निकासी की गयी उपखनिज की मात्रा (टन में)
01	2020-21 (03.02.2021 to 02.02.2022)	73,190
02	2021-22 (03.02.2022 to 26.08.2022 निरीक्षण दिनांक तक)	85,335

(ऐश्वर्य शाह)
जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
देहरादून।

(राकेश कण्डारी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
यूकेपीसीबी, देहरादून।

(डा0 के0 मंडल)
वैज्ञानिक सी,
पर्यावरण वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय।

(सुनील पंवार)
संयुक्त निदेशक, खनन
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग
निदेशालय देहरादून।

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
यूकेपीसीबी, देहरादून।

(विनोद कुमार)
उपजिलाधिकारी
विकासनगर।

संलग्नक-1

9

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्याः2477/VII-A-1/2021-108ख/2016
देहरादूनः दिनांक 06 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-2042/VII-1/108-ख/2016, दिनांक 03 जनवरी 2017 द्वारा गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 (पट्टाधारक) के पक्ष में स्वीकृत राजस्व खनन लॉट यमुना 21/3 में खनन संक्रियाओं के संचालन एवं उपखनिज की निकासी हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा ई-निविदा के माध्यम से खनन सत्र 2020-25 हेतु दिनांक 24.08.2020 को निविदाऐं आमंत्रित करते हुए निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत लॉट संचालक का चयन किया गया है।

2. गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 के पत्र दिनांक 05.01.2021 के माध्यम से उक्तानुसार किये गये चयनोपरान्त राजस्व खनन लॉट यमुना 21/3 में H2 घोषित श्री विनोद नेगी से निगम द्वारा खनन सत्र 2020-21 में समयावधि 05 माह शेष होने के कारण प्रश्नगत राजस्व खनन लॉट हेतु कुल निविदित राशि रू0 5,27,93,520/- कर सहित एवं उपखनिज मात्रा 6,00,000 टन को 06 भागों में विभाजित कर किश्तों का निर्धारण किया गया, इस संबंध में गढवाल मण्डल विकास निगम के पत्र दिनांक 19.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021 एवं 26.03.2021 द्वारा उक्तानुसार निर्धारित धनराशि को जमा कराये जाने हेतु किये गये पत्राचार के उपरान्त दिनांक 01.04.2021 द्वारा प्रेषित नोटिस के माध्यम से कुल 5,27,93,520/- को जमा कराये जाने तथा अपेक्षित धनराशि जमा न करने की दशा में ई-रवन्ना पोर्टल बन्द करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये।

3. गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 के उक्त आदेश दिनांक 01.04.2021 के विरूद्ध लॉट संचालक श्री विनोद नेगी द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक देहरादून के न्यायालय में माध्यस्थम वाद संख्या 45/2021 श्री विनोद नेगी बनाम गढ़वाल मण्डल विकास निगम योजित किया गया, जिसमें मा0 न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 13.04.2021 द्वारा दिनांक 01.04.2021 के पत्र मे उल्लिखित धनराशि रू0 5,27,93,520/- की वसूली को अग्रिम तिथि तक निषिद्ध किया गया तथा प्रश्नगत वाद की सुनवाई हेतु दिनांक 10.05.2021 की तिथि नियत की गयी, परन्तु उक्त तिथि को सुनवाई न होने के उपरान्त प्रश्नगत आर्बिट्रेशन वाद को मा0 न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 18.08.2021 द्वारा इस आधार पर खारिज/निरस्त किया गया कि स्मृति पत्र में प्राविधान के दृष्टिगत इस अनुतोष के संबंध में याची का वाद निष्प्रयोज्य हो चुका है, क्योंकि इस सत्र के खनन का कार्य जून माह के अंत में समाप्त हो जाने के कारण ई-पोर्टल पहले ही बंद किया जा चुका है।

4. प्रश्नगत आर्बिट्रेशन वाद-45/2021 श्री विनोद नेगी बनाम गढवाल मण्डल विकास निगम में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2021 के विरूद्ध वादी/अपीलार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित A.O.N0. 179/2021 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2021 का प्रभावी अंश निम्नवत हैः-

"Mr. U.K. Uniyal, the learned Senior Counsel appearing on behalf of the respondent, Garhwal Mandal Vikas Nigam, concedes, and in the opinion of this Court rightly so, that the quantity mentioned in the MOU to be excavated per month is higher than the quantity permitted by the Central Government. Therefore, the amount due from the appellant on a per month basis needs to be reduced pro rata. Hence, Mr. U.K. Uniyal, the learned Senior Counsel, seeks one month's time to resolve the disputes as has erupted between the appellant and the respondent. He further gives an undertaking that during this period, the Demand Notice dated 8-9-2021 shall not be enforced by the respondent.

Since there is a boundary dispute between the State of Himachal Pradesh and the State of Uttarakhand, the State of Uttarakhand is directed to resolve the said dispute, if any, with the State of Himachal Pradesh with the help of the concerned Distcrit Magistrates of both the district."

Scanned with CamScanner

5. उक्तानुसार पारित आदेश के अनुपालन में शासन के पत्र दिनांक 16.11.2021 द्वारा जिलाधिकारी सिरमौर एवं जिलाधिकारी देहरादून को प्रश्नगत लॉट मे उत्पन्न सीमा विवाद के निस्तारण हेतु आपसी समन्वय स्थापित कर सीमा विवाद का समाधान किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी सीमा विवाद के यथावत रहने के फलस्वरूप श्री विनोद नेगी द्वारा शासन को प्रस्तुत प्रत्यावेदन के माध्यम से मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा A.O.N0. 179/2021 में पारित आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2021 की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनको आवंटित राजस्व खनन लॉट 21/3 के सापेक्ष गढवाल विकास निगम के पक्ष में उनको आवंटित राजस्व खनन लाट 21/3 के सापेक्ष गढवाल मण्डल विकास निगम के पक्ष में जमा एफ०डी०आर०/बैंक गारन्टी को वापस निर्मुक्त किये जाने, पूर्व सत्र में जमा अधिक धनराशि को समायोजित करते हुए पोर्टल खोले जाने तथा हिमाचल से सीमा विवाद को निस्तारित करने व सीमांकन के उपरांत क्षेत्रफल के निर्धारण के अनुरूप चुगान सामग्री की दर को भी उसी अनुपात मे पुनः निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. उपरोक्त के संदर्भ में शासन स्तर पर दिनांक 29.11.2021 को गढवाल मण्डल विकास निगम सहित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रश्नगत लॉट का स्थलीय निरीक्षण कर Factual Report उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 2069/VII-A–1/2021/108ख/16, दिनांक 30.11.2021 द्वारा निम्नवत समिति का गठन किया गया–

1– महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित प्रतिनिधि।
2– जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित अधिकारी।
3– प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मण्डल विकास निगम द्वारा नामित प्रतिनिधि।
4– जिला खान अधिकारी, देहरादून।

7. शासन के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 नवम्बर, 2021 द्वारा गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या, जिसमें उपजिलाधिकारी विकासनगर, तहसीलदार विकासनगर, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला खान अधिकारी देहरादून एवं प्रभारी खनन, प्रतिनिधि गढवाल मण्डल विकास निगम सम्मिलित रहे, में गढवाल मण्डल विकास निगम के प्रतिनिधि को छोड़कर समिति के अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आख्या दिनांक 15.12.2021, गढवाल मण्डल विकास निगम के प्रतिनिधि द्वारा समिति के अन्य सदस्यों की संयुक्त आख्या से पृथक प्रेषित आख्या दिनांक 29.12.2021, शासन के पत्र दिनांक 29.12.2021 के संदर्भ में प्रेषित प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मण्डल विकास निगम के प्रतिउत्तर पत्र दिनांक 30.12.2021 तथा इस संबंध में दिनांक 04.01.2022 को प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम के स्तर पर हुए विचार–विमर्श के आधार पर राजस्व खनन लॉट यमुना 21/3 के संचालन, प्रश्नगत लॉट संचालक पर निर्धारित पूर्व देयता का परीक्षण, दो राज्यों के मध्य सीमा विवाद की प्रास्थिति, समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या, राजस्व हित में प्राप्त किये गये निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई व जिला खान अधिकारी देहरादून के विभागीय अभिमत का शासन स्तर पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण व अध्ययन किया गया, जिसमें प्रश्नगत लॉट के पट्टाधारक (गढवाल मण्डल विकास निगम) के स्तर से ई–निविदा के माध्यम से दिनांक 24.08.2020 द्वारा आमंत्रित निविदा प्रपत्र की खामियों, निविदा शर्तों से इतर की गयी कार्यवाही, उपखनिज की निकासी हेतु लॉट संचालक के साथ विलम्ब से किये गये एम०ओ०यू० निष्पादन, लॉट संचालन में किये गये विलम्ब तथा सरकार को हुई राजस्व हानि के निम्न विन्दु परिलक्षित हुए है:–

(i) उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–14(2) में प्राविधानित है कि "उपनियम (1) में निर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा, जब उक्त उपनियम के अधीन विलेख निष्पादित किया जाय"।

Scanned with CamScanner

(ii) प्रकरण में गढवाल विकास निगम लि० व लाट संचालक के मध्य एम०ओ०यू० दिनांक 01 फरवरी, 2021 को निष्पादित किया गया है, जिस कारण खनन पट्टा के प्रारम्भ होने का दिनांक 01 फरवरी, 2021 से ही माना जायेगा।

(iii) राजस्व खनन लॉटों हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा दिनांक 24.08.2020 को आमंत्रित ई–निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्त/नियम से इतर सफल बोलीदाता के पक्ष में एम०ओ०यू० निष्पादन एवं कार्यादेश निर्गत किये जाने से पूर्व ही लॉट के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि जमा कराये जाने की कार्यवाही अमल में लायी गयी है, जो निविदा प्रपत्र के भाग–2 की शर्त संख्या–9(VIII) में उल्लिखित व्यवस्था के पूर्णतः विपरीत है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा लॉट संचालक से उसके पक्ष में एम०ओ०यू० निष्पादन एवं कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त निर्धारित एक सप्ताह की समयावधि के अन्तर्गत अपेक्षित धनराशि जमा कराये जाने की कार्यवाही नियमानुसार करायी जानी चाहिये थी, जो प्रश्नगत लॉट में नहीं की गयी है।

(iv) प्रकरण में सीमा विवाद व कोरोना महामारी के कारण श्रमिक आदि उपलब्ध न होने से संयुक्त निरीक्षण आख्या में कुल 3 माह 15 दिन के कार्य में हुई हानि का उल्लेख किया गया है, जबकि पट्टाधारक/लॉट संचालक द्वारा ई–रवन्ना पोर्टल खोलने/कार्यादेश निर्गत होने अर्थात माह फरवरी, 2021 से माह जून, 2021 तक कुल 05 माह खनन कार्य किया गया है। प्रश्नगत खनन लाट संख्या– 21/3 से उपखनिज की निकासी 05 माह हेतु निर्धारित खनिज की मात्रा से कम हुई है।

(v) पट्टाधारक/गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा खनन लॉट संख्या 21/3 के संचालन हेतु निलामी के माध्यम से आवंटित खनन पट्टा हेतु वार्षिक निकासी खनिज की मात्रा 6,00,000 टन है। खनन सत्र (1 अक्टूबर से जून तक) कुल 9 माह में वार्षिक खनिज की मात्रा 6.00 लाख टन को विभाजित करते हुए प्रतिमाह निकासी खनिज की मात्रा (6,00,000/9) = 66,666.67 टन होता है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा माह फरवरी, 2021 में कार्यादेश निर्गत किया गया तथा खनिज निकासी हेतु दिनांक 03.02.2021 को ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया। इस प्रकार लॉट संचालक पर खनन सत्र, माह जून, 2021 तक ही निर्धारित खनिज की मात्रा पर देय रायल्टी व अन्य कर निर्धारित होता है।

(vi) प्रथम खनन सत्र हेतु कार्य की कुल अवधि 05 माह हेतु खनिज की निर्धारित मात्रा (66,666.67 टन x 5 माह) 3,33,333.35 टन होती है, जिसकी रॉयल्टी (नीलामी में बोली गयी प्रति टन की धनराशि रू0 203.052 की दर से) (रू 3,33,333.35 X 203.052) रू0 6,76,84,003/– निर्धारित होता है।

(vii) उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमवाली, 2001 के नियम 22 अपरिहार्य भाटक के संबंध में उल्लेख किया गया है कि खनन पट्टाधारक पट्टे की अवधि में पट्टे की प्रत्येक वर्ष के लिये अपरिहार्य भाटक के रूप में ऐसे धनराशि का किश्तों में अग्रिम रूप से भुगतान करेगा, जैसे इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जाये और यदि पट्टे की शर्ते उसी क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति होती है, तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिए उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक–पृथक रूप से किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व (रॉयल्टी) की धनराशि का जो भी अधिक हो, देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं।

(viii) उत्तराखण्ड उपखनिज बालू, बजरी बोल्डर चुगान नीति, 2016 के बिन्दु संख्या–14 में स्पष्ट उल्लेख है कि "चुगान पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र का वार्षिक अपरिहार्य भाटक (Dead Rent) का आंगणन चुगान क्षेत्रों हेतु रेपिड सर्वे द्वारा आंगणित मात्रा का 50 प्रतिशत मात्रा पर देय रॉयल्टी की धनराशि

Scanned with CamScanner

वार्षिक अपरिहार्य भाटक / पट्टा धनराशि के रूप में आंगणित की जायेगी, जिसे निगम एवं निजी पट्टाधारकों द्वारा निर्धारित लेखा–शीर्षक में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।"

(ix) प्रकरण में 05 माह की कार्यावधि में लॉट संचालक द्वारा कुल 73,190 टन (ई–रवन्ना पोर्टल के अनुसार) खनिज की निकासी की गई तथा रू0 2,03,00,000/–की धनराशि जमा की गई है। पट्टाधारक / लॉट संचालक द्वारा कतिपय कारणवश निर्धारित खनिज की मात्रा की निकासी नहीं की गई, ऐसी स्थिति में राज्य में प्रचलित खनिज नीति, 2016 के बिन्दु संख्या–14 में दी गई व्यवस्था के अनुसार लॉट संचालक द्वारा कार्यावधि (प्रथम खनन सत्र फरवरी 2021–जून 2021) 5 माह हेतु निर्धारित खनिज की मात्रा 3,33,333.35 टन का 50 प्रतिशत 1,66,666.675 टन पर रॉयल्टी (नीलामी में बोली गयी प्रति टन की धनराशि) रू0 203.052 की दर से अपरिहार्य भाटक रू0 3,38,42,002/– निर्धारित होता है।

(x) लॉट संचालक द्वारा अग्रिम रूप से जमा की गयी कुल धनराशि रू0 2,03,00,000/– को 05 माह हेतु निर्धारित अपरिहार्य भाटक रू0 3,38,42,002/– में घटाते हुए कुल 1,35,42,002/–की धनराशि लॉट संचालक पर देय बनती है।

(xi) प्रश्नगत खनन पट्टा / लॉट सं0 21/3 हेतु पर्यावरणीय अनुमति में प्रतिदिन उपखनिज की निकासी हेतु 267 ट्रक तथा 10 टन प्रति ट्रक निर्धारित है। इस प्रकार प्रत्येक दिन 2670 टन तथा प्रतिमाह (267 ट्रक X 10 टन X 30 दिन) 80,100 टन तथा खनन सत्र 09 माह हेतु (267ट्रक X 10टन X 270 दिन) 7,20,900 टन हेाता है, जो कि उक्त खनन लॉट हेतु नीलामी / निविदा में निर्धारित मात्रा 6.00 लाख टन से 1,20,900 टन अधिक होने के कारण व्यवहारिक नहीं है।

(xii) गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा निर्धारित वार्षिक खनिज की मात्रा 6.00 लाख टन कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 01 फरवरी, 2021 से माह जून, 2021 तक 05 माह में विभाजित करते हुए प्रतिमाह 1,20,000 टन खनिज की निकासी हेतु मात्रा निर्धारित की गयी है, जो पर्यावरणीय अनुमति में उल्लिखित मात्रा (267 ट्रक x 10 टन x 30 दिन) 80,100 टन से अधिक होने के कारण पर्यावरणीय मात्रा के अनुकूल नहीं है। यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि "............... ...that the quantity mentioned in the MOU to be excavated per month is higher than the quantity permitted by the Central Government. Therefore the amount due from the appellant on a per month basis needs to be reduced pro rata."

(xiii) द्वितीय खनन सत्र (माह अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021) 03 माह की अवधि में पट्टाधारक गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा वर्तमान तक खनन संकियांए प्रारम्भ किये जाने / खनिज की निकासी हेतु विभाग में ई–रवन्ना पोर्टल खोले जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण खनिज की निकासी भी शून्य है तथा उक्त अवधि में राज्य को राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई है। चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं0–14 के अनुसार 03 माह की अवधि में खनन कार्य न किये जाने के संबंध में चूंकि गढवाल विकास निगम लि0 राज्य सरकार का पट्टाधारक है, इसलिए उत्तरदायी है। अतः उक्त 03 माह की बाधित अवधि में खनिज की निकासी न किये जाने हेतु पट्टाधारक गढवाल मण्डल विकास लि0 पर अपरिहार्य भाटक (66,666.66 टन प्रति माह x 03 माह का 50 प्रतिशत x रायल्टी 70 रू प्रति टन की दर) रू0 69,99,999/–की धनराशि देय बनती है। प्रश्नगत खनन पट्टा 21/3 लॉट का ई–रवन्ना पोर्टल गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 के नाम दर्ज है तथा उक्त अवधि में पट्टाधारक गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा ई–रवन्ना पोर्टल नहीं खोले जाने के फलस्वरूप खनिज की निकासी नहीं हुई है, जिसमें लॉट संचालक की त्रुटि दृष्टिगोचर न होने के कारण उक्त अवधि हेतु अपरिहार्य भाटक / रायल्टी की देयता, गढवाल मण्डल विकास निगम पर बनती है।

Scanned with CamScanner

(xiv) सीमा विवाद, राज्य बाउण्ड्री हेतु 15 मी० का बफर जोन राज्य सीमान्तर्गत छोड़ते हुए (4500 मी0 x चौ0 15 मी0) अर्थात् 6.75 है० तथा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन पुल से नियमानुसार 100-100 मी० की दूरी Upstream एवं downstream में छोड़ते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रफल (200 मी0 x चौ0 150 मी0) अर्थात् 3.00 है0 क्षेत्रफल छोडते हुए कुल 58.614 है० क्षेत्रफल पर वार्षिक खनिज की मात्रा (6.00 लाख / 68.364है0) x 58.614 है0) कुल 5,14,428.64 टन निर्धारित होता है।

(xv) निविदा में प्राप्त खनिज का मूल्य रू0 203.052 प्रति टन की दर से वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उक्तानुसार निर्धारित क्षेत्र में खनन पट्टे का वार्षिक मूल्य (5,14,428.64 x 203.052) =रू0 10,44,55,764 / -निर्धारित होता है।

(xvi) खनन सत्र, 2021-222 हेतु वार्षिक खनिज की मात्रा 5,14,428.64 टन निर्धारित होता है तथा खनन कार्य हेतु वर्तमान में अवशेष कार्यवधि 06 माह (जनवरी, 2022 से जून, 2022) हेतु खनिज की मात्रा (5,14,428.64 / 9 x 6) 3,42,952.42 टन हेतु (3,42,952.42 X 203.052) देय रायल्टी रू0 6,96,37,176 / -निर्धारित होता है।

8. उपरोक्त वर्णित स्थिति / तथ्यों के सन्दर्भ में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत राजस्व खनन लॉट यमुना 21/3 के सुचारू संचालन एवं राजस्व प्राप्ति के दृष्टिगत प्रश्नगत लॉट का संचालन राजस्व हित में अविलम्ब करते हुये गढ़वाल मण्डल विकास निगम के स्तर से इसका ई-पोर्टल तत्काल प्रभाव से खोले जाने सहित प्रश्नगत लॉट के सम्बन्ध में निम्न निर्णय प्रतिपादित किये जाते हैः-

(i) वादी / अपीलार्थी (श्री विनोद नेगी) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित A.O.N0. 179/2021 में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2021 के अनुपालन में गढवाल मण्डल विकास निगम के नोटिस आदेश दिनांक 8.09.2021 को प्रभावी न किया जाय।

(ii) यमुना नदी में दो राज्यो के मध्य सीमा विवाद के दृष्टिगत नदी के मध्य से 15 मी0 का बफर जोन घोषित करते हुये तद्नुसार प्रतिबंधित क्षेत्रफल को कम किये जाने पर 68.364 है0 के स्थान पर 58.614 है0 क्षेत्रफल में उपखनिज की वार्षिक मात्रा कुल 5,14,428.64 टन निर्धारित की जाती है।

(iii) विगत खनन सत्र में निगम एवं लॉट संचालक के मध्य MOU हस्ताक्षरोपरांत निर्गत कार्यादेश की तिथि (02 फरवरी, 2021) से जून, 2021 तक की कुल 05 माह की कार्यवधि में सीमा विवाद एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से उपखनिज की पर्याप्त निकासी न कर पाने की स्थिति में उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु संख्या-14 के अनुसार लॉट संचालक पर रू0 3,38,42,002 / -के रूप में अपरिहार्य भाटक की धनराशि आगणित होती है, जिसके सापेक्ष पूर्व में जमा की गयी धनराशि रू0 2,03,00,000 / - का समायोजन करने के उपरान्त रू0 1,35,42,002 / - की देयता लॉट संचालक पर निर्धारित की जाती है।

(iv) वर्तमान खनन सत्र 2021-22 में माह अक्टूबर, 2021 से अतिथि तक कुल 03 माह से अधिक अवधि में पट्टाधारक / गढवाल मण्डल विकास निगम द्वारा लॉट संचालक से राजस्व खनन लॉट यमुना 21/3 से चुगान कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है तथा गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा ई-रवन्ना पोर्टल न खोले जाने के फलस्वरूप उपखनिज की निकासी नहीं हुई है, जिसमें लॉट संचालक की कोई त्रुटि न होने के कारण उक्त अवधि हेतु संगत नीति के बिन्दु-14 के अनुसार पट्टाधारक / गढवाल मण्डल विकास निगम पर अपरिहार्य भाटक रू0 69,99,999 / - की देयता निर्धारित की जाती है।

Scanned with CamScanner

(v) ई–रवन्ना पोर्टल पट्टाधारक/गढ़वाल मण्डल विकास निगम के नाम दर्ज है तथा उनके द्वारा वर्तमान खनन सत्र के प्रारम्भिक दिवस से पोर्टल न खोले जाने के कारण वर्तमान खनन सत्र में विगत 03 माह से अधिक की अवधि में वर्तमान समय तक लॉट संचालक के स्तर से उपखनिज की कोई निकासी/चुगान कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण लॉट संचालक पर वर्तमान खनन सत्र के प्रारम्भ होने की तिथि (दिनांक 1.10.2021) से वर्तमान समय तक की अवधि की कोई देयता निर्धारित नहीं होती है।

(vi) प्रश्नगत लॉट हेतु लॉट संचालक द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पक्ष में बैंक गारन्टी के रूप में जमा प्रतिभूति धनराशि रू0 2,70,73,800/-, जिसे निगम द्वारा [illegible] करा लिया गया है, में से विगत खनन सत्र 2020-21 (फरवरी 2021 से जून 2021 तक) हेतु अपरिहार्य भाटक के रूप में देय धनराशि रू0 1,35,42,002/- को समायोजित कर अवशेष धनराशि को आगामी माह की किश्तों में समायोजित करते हुये नवीन प्रतिभूति की धनराशि बैंक गारन्टी के रूप में पुनः उपलब्ध कराये जाने हेतु लॉट संचालक को 02 (दो) माह का समय प्रदान किया जाता है।

प्रकरण में सीमा विवाद की प्रास्थिति में घोषित किये गये 15 मी0 के बफर जोन तथा सीमा विवाद एवं अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित रायल्टी के अनुरूप उपखनिज की निकासी न कर पाने की स्थिति में लॉट संचालक से अपरिहार्य भाटक की राशि लिये जाने का निर्णय मात्र प्रश्नगत प्रकरण में ही स्वीकार्य किया जायेगा, इसे अन्य प्रकरणों में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा। प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा चयनित लॉट संचालक से उप खनिज की निकासी तदनुसार कराते हुये पट्टे का सुचारू संचालन अविलम्ब प्रारम्भ कर तथा इसके संचालन में अब किसी भी प्रकार का कोई विलम्ब न हो, इसकी सुनिश्चितता की जाये। लॉट संचालन मे अतिरिक्त विलम्ब हेतु पट्टाधारक/गढ़वाल मण्डल विकास निगम स्वंय उत्तरदायी होगा।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या:2477/VII-I-A/2021-108ख/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, देहरादून।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. जिला खान अधिकारी, देहरादून।
6. श्री विनोद नेगी, ग्राम व पोस्ट मयाली, जनपद रूद्रप्रयाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

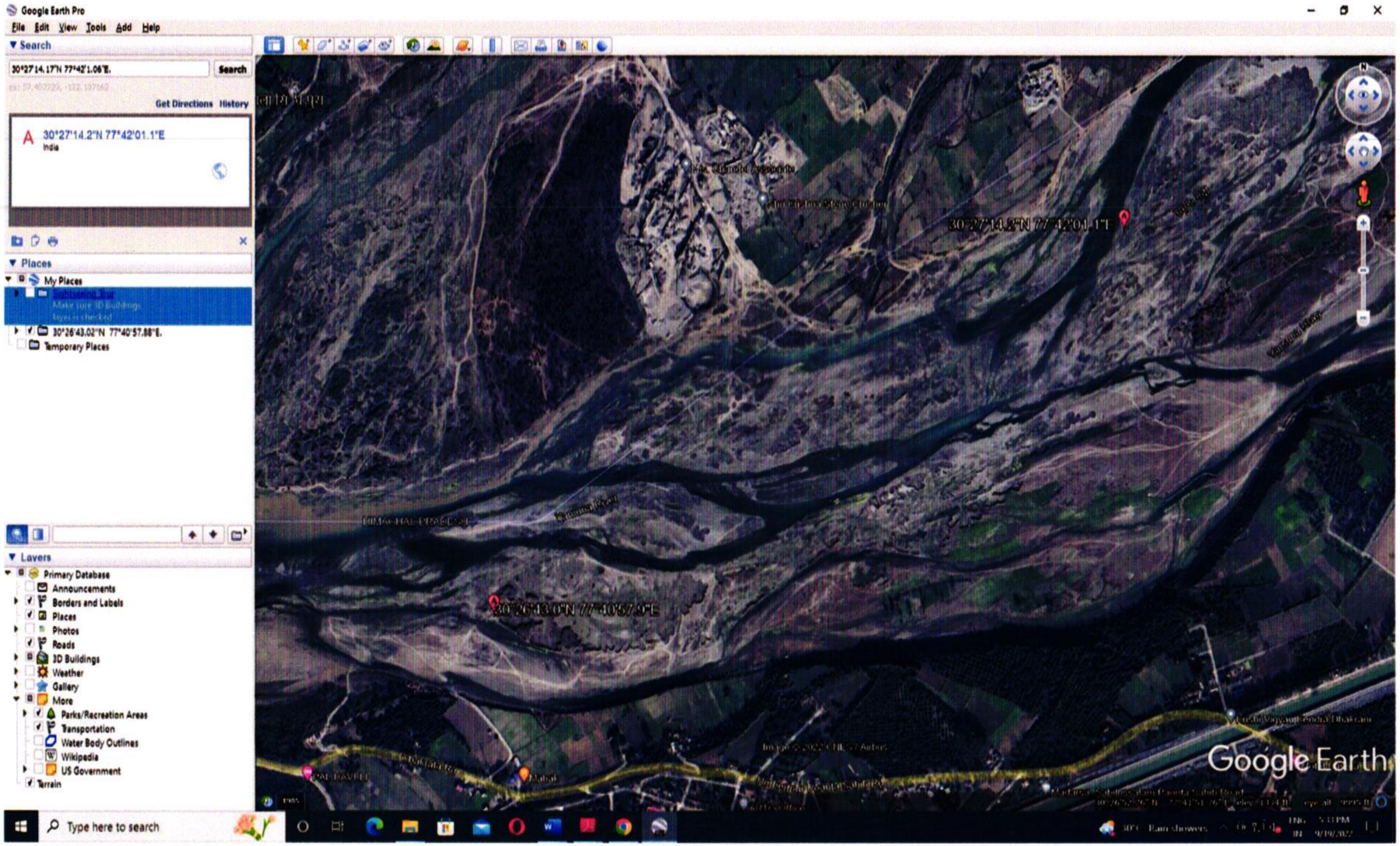

Photo 1. The Google earth image depicts that both the locations are inside the State boundary of Uttarakhand.

संलग्नक-3

16

Latitude: 30.450151
Longitude: 77.702119
Elevation: 410.84±3 m
Accuracy: 3.5 m
Azimuth: 230° (SW)
Pitch: -3.7° (1.8°)
Time: 26-08-2022 12:54
Note: gmvn dhakrani971
Powered by AngleCam

Latitude: 30.450189
Longitude: 77.701833
Elevation: 413.24±3 m
Accuracy: 3.3 m
Azimuth: 293° (NW)
Pitch: 2.8° (1.9°)
Time: 26-08-2022 12:57
Note: gmvn dhakrani971
Powered by AngleCam

Latitude: 30.464221
Longitude: 77.726559
Elevation: 423.17±3 m
Accuracy: 3.9 m
Azimuth: 284° (W)
Pitch: -2.0° (-0.6°)
Time: 26-08-2022 12:18
Note: gmvn dhakrani
Powered by AngleCam

Latitude: 30.450174
Longitude: 77.701841
Elevation: 410.17±3 m
Accuracy: 3.2 m
Azimuth: 225° (SW)
Pitch: -4.2° (-1.6°)
Time: 26-08-2022 12:56
Note: gmvn dhakrani971
Powered by AngleCam

सेवा-17-04

तहसीलदार
विकासनगर

पत्रांक सं0- 53 / खनिज / अनु0 / 2022-23 दिनांक 22.04.2022 कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

विषय :- यमुना नदी में 21/3 की आड़ में बिना पर्यावरण सहमति के हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में जाँच आख्या इस प्रकार से है कि-

महोदय, मौजा ढकरानी एवं मण्डीगंगसेवा स्थित लॉट सं0 21/3 नदी यमुना का पूर्व में 2021 में संयुक्त निरीक्षण किया गया है जिसमें उक्त लाट खसरे न0 से नदी के किनारे से नदी की चौड़ाई का 15% भाग छोड़कर व सार्वजनिक स्थल पुल, नहर, सड़क इत्यादि को छोड़कर उप खनिज खनन योग्य खसरे न0 सम्मिलित है। जो निम्नवत है-

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	ग्राम का नाम	नदी का नाम	लॉट संख्या	खसरा न0	कुल क्षे0 (हे0 में)	खनन योग्य क्षे0 (हे0 में)	उपलब्ध उपखनिज
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
1.	देहरादून	विकासनगर	ढकरानी	यमुना	21/3	1 (आंशिक)	15.0440	9.304	रेत-बजरी बोल्डर (मिश्रित अवस्था में)
						2 (क)	95.195	5.000	
						618	5.322	3.170	
			मण्डीगंगसेवा		1	17.905	5.890		
						कुल	134.266	68.364	

उपरोक्त के सम्बन्ध में वर्तमान में आज दिनांक को विभागीय अधिकारियों के समक्ष नदी में जाकर स्थलीय मौका मुआयना किया गया है जिसमें उपरोक्त लाट में ग्राम ढकरानी के उपरोक्त ख0 न0 1 व 2 व ख0 न0 618 में स्थलीय जाँच की गई जिसमें स्थल पर ख0 न0 1 व 2 से लगता हुआ ख0 न0 618 में स्थलीय जाँच की गई है जो कि खनन योग्य पट्टा स्वीकृत है जिसमें ख0 न0 618 से लगता हुआ ख0 न0 936 जो कि नदी से लगती हुई उक्त ख0 न0 की ल0 1400 मी0 के लगभग व उक्त ख0 न0 से लगता हुआ ख0 न0 971 जिसकी ल0 राजस्व सजरे के अनुसार 600 मी0 के लगभग में है। राजस्व सजरे की छायाप्रति संलग्न है। सजरे में लॉट खसरा न0 पीले रंग से दर्शाया गया है।

महोदय
राजस्व उपनिरीक्षक आख्या सेवा में
सादर सम्प्रेषित
[signature] 06.09.2022

लेखपाल- शोभाराम
क्षेत्र- [signature] 3/9/022
तहसील- विकासनगर

लाट खसरे नम्बर यमुना नदी में पीले रंग से दर्शित है।

संलग्नक—05

क्र0सं0	दिनांक	जनपद	तहसील	अवैध खनन/परिवहन से संबंधित प्रकरणों की संख्या	राजस्व प्राप्ति (रू0 में)
1	दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31.08.2022 तक	देहरादून	विकासनगर	338	1,05,83,296/—

उप जिलाधिकारी,
विकासनगर।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001,
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

File No. NC.RO/ENV/MIN/UK/835/2016 | 1639

Dated: 28 February 2022

To,

Managing Director,
M/s. Garhwal Mandal Vikas Nigam Limited
74/1, Rajpur Road,
Dehradun
Email: gmvn@sancharnet.in , gmvn@gmvnl.com
Tel: 0135-02744408, 0315-2746817

Sub: Review of yearly compliance report of stipulated conditions of Environmental Clearance (EC) granted for Mining of Mineral Sand, Bajri and Boulder from river Yamuna Lot no 21/3 at village Dhakrani & Ganbhewa, Tehsil Vikasnagar &District: Bageshwar, Uttarakhand (68.364 ha, capacity 6,00,000 TPA(ROM))– Observations thereof reg.

Ref: EC Letter No: J-11015/140/2013-IA. II(M) dated 07/09/2016

Sir,

With reference to the above, I am directed to inform you that the six monthly compliance report for the period of April 2021 to June 2021, 2021 submitted to this office dated 08/02/2022 has been carefully perused by MoEFCC, Regional Office, Dehradun and the following observations are made that require necessary action from your end.

a) **It has been evident from the submitted report that as per the EC letter, the total allowed capacity for mining is 6,00,000 TPA. However, 6,05,200 tons have been mined out from the river already during the reported period. This is a serious violation of EC condition granted from MoEF&CC. Proponent shall submit an explain on the same and shall limit the mining activity as per the EC conditions.**
b) Kindly provide the copy of clearance obtained from competent authority for nearby Wildlife Sanctuary. As per the EC condition #2 current EC is subjected to clearance from concerned wildlife division.
c) Kindly submit the copy of the Consent to Operate or Consent to Establish (CTO/CTE/CCA) against the stipulated specific condition # 03 of EC.
d) Kindly provide the details of replenishment study done (if any) as per the stipulated specific condition # 04 of EC.
e) Proponent shall appoint a monitoring committee for various internal monitoring like replenishment study, traffic management, etc as per the stipulated specific condition # 05 of EC. Kindly provide the details of Monitoring Committee constituted.
f) As the stipulated condition #8 Occupational Health Specialist shall be appointed for regular medical checkups. It has been submitted that due to covid condition it was not been done whereas at page no 11 of same report it is stated to being strictly complied with. Also, as per the report mining was operational from April to June 2021.
g) As per the EC condition #11, PUC certificated to be submitted for vehicles being used for mining.
h) Kindly submit the details of *"Bypasss Road"* constructed as per the EC condition #15.
i) Kindly provide the details of Corporate Social Responsibility (CER) a per the EC condition #16

j) Kindly provide the copy of the valid Mining Lease against the special conditions #4 of EC. As per the details previous Mining Lease stand expired on April 2018.

k) As per the special condition # 8 District level Survey Report (DSR) to be prepared and shared as soon as possible.

l) Mining shall be done in area demarcated in DSR report and same to be certified by Sub Divisional Level Committee as per the EC special condition # 20. Kindly submit the details over the same.

m) Kindly submit the photograph of boundary made by demarcated pillars at the mining site as per the EC special condition #21.

n) Kindly submit the noise monitoring report for the reported period of mining as per the special condition #27 of the EC.

o) Kindly submit the surface water quality and ambient air quality monitoring report for the reported period of mining as per the special condition #30 of the EC.

p) Kindly submit the details of flora restoration made by proponent as per the EC special condition #33.

q) It is requested to submit the copy of the renewed or ongoing approved Mining Plan as per the EC condition #45 along with the earmarked places for waste dumping.

r) Kindly submit the surface water quality and ambient air quality monitoring report for the reported period of mining as per the condition # 22 of the EC for the period pf April 2021 to September 2021.

s) It is requested to submit the site specific plan with eco-restoration as per EC condition # 58.

t) Kindly submit the details of disaster management plan as per the EC condition #62.

u) It is submitted in the report that INR 17,50,000 has been deposited to Khanij nayas trust for raising green belt of 7.5 m wide at mining site. Kindly provide the details like photographs or acknowledge slips and any other details for the same.

v) Data regarding the regulating monitoring of flow rate of spring and perennials nallahs to be collected and submitted to IRO-MoEFCC- Dehradun as per the general condition #X of EC. Kindly provide the same.

w) Data regarding the regulating monitoring of ground water levels and its quality to be collected by proponent and same shall be submitted to IRO-MoEFCC- Dehradun as per the general condition #X of EC. Kindly provide the same.

x) Under the general condition no XIII proponent shall established four ambient air quality monitoring stations. However, details have not been submitted for the same.

y) As per the general condition XIX, a separate Environment Management Cell (EMC) shall be setup under the control of Senior Executive. Kindly provide the composition of EMC along with the reporting chart.

z) The advertisement regarding the EC was to be published in at least two widely circulated newspapers against the stipulated General Condition No. **XXVII** of EC. As per the submitted details only one advertisement has been provided in the submitted reports. Kindly submit the copies of the two advertisements published along with the dates and names of newspapers.

It is hereby, requested that while submitting the six-monthly compliance reports in future, please provide specific details of action taken/ being taken with time frame for all the stipulations given in Environmental Clearance together with supporting documents/ latest analysis reports etc. (by email: moef.ddn@gov.in).

It is also imperative to mentioned that the EC for the project was granted in 2016. Afterwards, no six-monthly compliances were submitted till February 2022. Thus, it is requested to inform the office how mining activity was conducted following the stipulated conditions of EC during the ***non-reporting period from 2016 to 2021*** including all supporting documents.

Further, it is requested to do the needful and submit the above-mentioned details within 30 days from the date of issuance of this letter, failing which necessary action as per provisions laid down in E(P) ct, 1986 may be initiated against you.

This issues with the approval of competent authority.

Yours Faithfully,

o/c

(Dr. Vipin Gupta)
Scientist 'B'

Copy to:

1. Dr. Shruti Rai Bharadwaj, Scientist 'E', Monitoring Cell, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Agni Wing, 2nd Floor, Indira Paryawaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003.

o/c

(Dr. Vipin Gupta)
Scientist 'B'

Geology and Mining Unit, Directorate of Industries Uttarakhand

Dealer Sale Report

From 03/02/2021 To 02/02/2022

Dealer Registration No: MO60022811
Dealer Name: VINOD NEGI
Dealer Type: Mine Owner
Frim: M/S VINOD NEGI
GSTIN: 05AFNPN7310J1ZB

District: Dehradun
Tehsil: Vikasnagar
Lease Location: Yamuna, Dhakrani(Dehat)
Moble No: 7351102777
Email: gmvngstming@gmail.com

Sr.No.	Date	Form No	Vehicle No	Purchaser	Purchaser GSTIN	Mineral	Weight (Quintal)	Rate Per Quintal	Sale Value with out Tax	SGST (₹)	CGST (₹)	IGST (₹)	Payble Tax (₹)	Sale Value With Tax (₹)
1	06/02/2021	IM22811000001	UK07CA5409	ST60022041	05ADWPI9460P1ZK	Sand	100.00	28.57	2857.14	71.43	71.43	0.00	142.86	3000.00
2	06/02/2021	IM22811000002	UK07CA2598	Unregistred	N/A	Boulder	100.00	28.57	2857.14	71.43	71.43	0.00	142.86	3000.00
3	06/02/2021	IM22811000003	UK07CB4294	Unregistred	N/A	Boulder	100.00	28.57	2857.14	71.43	71.43	0.00	142.86	3000.00
4	06/02/2021	IM22811000004	UK16CA0118	ST60022257	05EBCPS7656K3Z0	Bajri	100.00	28.57	2857.14	71.43	71.43	0.00	142.86	3000.00
5	06/02/2021	IM22811000005	UK07CA5806	ST60022257	05EBCPS7656K3Z0	Sand	100.00	28.57	2857.14	71.43	71.43	0.00	142.86	3000.00
6	06/02/2021	IM22811000006	HR27J7614	ST60022257	05EBCPS7656K3Z0	Sand	100.00	28.57	2857.14	71.43	71.43	0.00	142.86	3000.00
7	06/02/2021	IM22811000007	UP81CT3128	ST60022257	05EBCPS7656K3Z0	Sand	160.00	28.57	4571.43	114.29	114.29	0.00	228.57	4800.00
8	06/02/2021	IM22811000008	UK07CA7944	ST60022041	05ADWPI9460P1ZK	Sand	100.00	28.57	2857.14	71.43	71.43	0.00	142.86	3000.00
9	06/02/2021	IM22811000009	UK07CA9945	ST60022257	05EBCPS7656K3Z0	Sand	100.00	28.57	2857.14	71.43	71.43	0.00	142.86	3000.00
10	06/02/2021	IM22811000010	UK07CB5545	Unregistred	N/A	Sand	210.00	28.57	6000.00	150.00	150.00	0.00	300.00	6300.00
11	06/02/2021	IM22811000011	UK07CA4131	ST60022257	05EBCPS7656K3Z0	Sand	100.00	28.57	2857.14	71.43	71.43	0.00	142.86	3000.00
12	06/02/2021	IM22811000012	UK07CB0054	ST60022041	05ADWPI9460P1ZK	Sand	160.00	28.57	4571.43	114.29	114.29	0.00	228.57	4800.00
13	06/02/2021	IM22811000013	UK07CA8668	ST60022041	05ADWPI9460P1ZK	Sand	100.00	28.57	2857.14	71.43	71.43	0.00	142.86	3000.00
14	07/02/2021	IM22811000014	UK16CA1866	Unregistred	N/A	Boulder	30.00	28.57	857.14	21.43	21.43	0.00	42.86	900.00
15	07/02/2021	IM22811000015	UK16CA1539	Unregistred	N/A	Boulder	40.00	28.57	1142.86	28.57	28.57	0.00	57.14	1200.00
16	07/02/2021	IM22811000016	UK16CA1826	Unregistred	N/A	Boulder	40.00	28.57	1142.86	28.57	28.57	0.00	57.14	1200.00

Print Date and Time 21-Sep-2022 12:31:24 PM

Scanned with CamScanner

.No.	Date	Form No	Vehicle No	Purchaser	Purchaser GSTIN	Mineral	Weight (Quintal)	Rate Per Quintal	Sale Value with out Tax	SGST (₹)	CGST (₹)	IGST (₹)	Payble Tax (₹)	Sale Value With Tax (₹)
079	30/06/2021	IM22811007079	UK16CA0128	ST60022288	05CWQPB8668DIZ9	Bajri	100.00	21.19	2118.64	190.68	190.68	0.00	381.36	2500.00
080	30/06/2021	IM22811007080	UK07CA5806	ST60022288	05CWQPB8668DIZ9	Bajri	100.00	23.81	2380.95	59.53	59.53	0.00	119.05	2500.00
081	30/06/2021	IM22811007081	UK07CA6100	ST60022288	05CWQPB8668DIZ9	Bajri	100.00	21.19	2118.64	190.68	190.68	0.00	381.36	2500.00
082	30/06/2021	IM22811007082	UP11T6683	ST60022288	05CWQPB8668DIZ9	Bajri	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
083	30/06/2021	IM22811007083	UK07CB1994	Unregistred	N/A	Boulder	10.00	23.81	238.10	5.95	5.95	0.00	11.90	250.00
7084	30/06/2021	IM22811007084	UK16CA7327	ST60022288	05CWQPB8668DIZ9	Bajri	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
						Grand Total	**731900.00**		**17438444.60**	**436117.70**	**436117.70**	**0.00**	**872235.40**	**18310680.00**

Print Date and Time 21-Sep-2022 12:31:24 PM

23

Scanned with CamScanner

Geology and Mining Unit, Directorate of Industries Uttarakhand

Dealer Sale Report

From 03/02/2022 To 26/08/2022

Dealer Registration No: MO60022811
Dealer Name: VINOD NEGI
Dealer Type: Mine Owner
Frim: M/S VINOD NEGI
GSTIN: 05AFNPN7310J1ZB

District: Dehradun
Tehsil: Vikasnagar
Lease Location: Yamuna, Dhakrani Dehat)
Moble No: 7351102777
Email: gmvngstmining@gmail.com

Sr.No.	Date	Form No	Vehicle No	Purchaser	Purchaser GSTIN	Mineral	Weight (Quintal)	Rate Per Quintal	Sale Value with out Tax	SGST (₹)	CGST (₹)	IGST (₹)	Payble Tax (₹)	Sale Value With Tax (₹)
5259	06/02/2022	IM22811007085	UK13AB0225	Unregistred	N/A	Sand	10.00	23.81	238.10	5.95	5.95	0.00	11.90	250.00
5260	06/02/2022	IM22811007086	UK16CA8257	Unregistred	N/A	Sand	100.00	23.81	2380.95	59.53	59.53	0.00	119.05	2500.00
5261	06/02/2022	IM22811007087	UK14CA1838	Unregistred	N/A	Sand	10.00	23.81	238.10	5.95	5.95	0.00	11.90	250.00
5262	06/02/2022	IM22811007088	UK07CB9352	Unregistred	N/A	Bajri	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
5263	06/02/2022	IM22811007089	UK07CB1350	Unregistred	N/A	Bajri	100.00	23.81	2380.95	59.53	59.53	0.00	119.05	2500.00
5264	06/02/2022	IM22811007090	UK16CA8451	Unregistred	N/A	Bajri	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
5265	07/02/2022	IM22811007091	UK07CB5787	Unregistred	N/A	Bajri	30.00	23.81	714.29	17.86	17.86	0.00	35.71	750.00
5266	07/02/2022	IM22811007092	UK16CA1049	Unregistred	N/A	Sand	10.00	23.81	238.10	5.95	5.95	0.00	11.90	250.00
5267	07/02/2022	IM22811007093	UK16CA1719	Unregistred	N/A	Sand	40.00	23.81	952.38	23.81	23.81	0.00	47.62	1000.00
5268	07/02/2022	IM22811007094	UK07CB5964	Unregistred	N/A	Sand	40.00	23.81	952.38	23.81	23.81	0.00	47.62	1000.00
5269	07/02/2022	IM22811007095	UK16CA1806	Unregistred	N/A	Sand	30.00	23.81	714.29	17.86	17.86	0.00	35.71	750.00
5270	07/02/2022	IM22811007096	UP15BT8044	Unregistred	N/A	Sand	10.00	23.81	238.10	5.95	5.95	0.00	11.90	250.00
5271	07/02/2022	IM22811007097	UK07CB0308	Unregistred	N/A	Bajri	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
5272	07/02/2022	IM22811007098	UK07CB5787	Unregistred	N/A	Bajri	30.00	23.81	714.29	17.86	17.86	0.00	35.71	750.00
5273	07/02/2022	IM22811007099	UK16CA1828	Unregistred	N/A	Sand	40.00	23.81	952.38	23.81	23.81	0.00	47.62	1000.00
5274	07/02/2022	IM22811007100	UK07CA5602	Unregistred	N/A	Sand	100.00	23.81	2380.95	59.53	59.53	0.00	119.05	2500.00

Print Date and Time 21-Sep-2022 12:32:27 PM

24

Scanned with CamScanner

No.	Date	Form No	Vehicle No	Purchaser	Purchaser GSTIN	Mineral	Weight (Quintal)	Rate Per Quintal	Sale Value with out Tax	SGST (₹)	CGST (₹)	IGST (₹)	Payble Tax (₹)	Sale Value With Tax (₹)
409	30/06/2022	IM22811020235	UK16CA3520	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
410	30/06/2022	IM22811020236	UK16CA6622	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
411	30/06/2022	IM22811020237	UK16CA5215	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
412	30/06/2022	IM22811020238	UK16CA2514	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
413	30/06/2022	IM22811020239	UK16CA1640	Unregistred	N/A	Sand	40.00	23.81	952.38	23.81	23.81	0.00	47.62	1000.00
8414	30/06/2022	IM22811020240	UK16CA6254	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
8415	30/06/2022	IM22811020241	UK16CA3251	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
18416	30/06/2022	IM22811020242	UK16CA6226	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
18417	30/06/2022	IM22811020243	UK16CA6545	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
18418	30/06/2022	IM22811020244	UK16CA5512	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
18419	30/06/2022	IM22811020245	UK16CA6558	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
18420	30/06/2022	IM22811020246	UK16CA6536	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.80	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
18421	30/06/2022	IM22811020247	UK16CC6154	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
18422	30/06/2022	IM22811020248	UK16CA3652	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
18423	30/06/2022	IM22811020249	UK07CA6512	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.80	190.48	4000.00
18424	30/06/2022	IM22811020250	UK07CA2626	SP60011630	05CNYPS5991R1ZD	RBM Mixed	160.00	23.81	3809.52	95.24	95.24	0.00	190.48	4000.00
						Grand Total	853350.00		20285551.43	507106.79	507106.79	0.00	1014213.57	21299765.00

Print Date and Time 21-Sep-2022 12:32:27 PM

25

Scanned with CamScanner